

—: न्यायालय— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म0प्र0) :-

संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश

क्रमांक— २-१९ / 2025

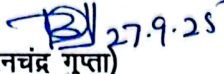
उज्जैन, दिनांक : 27 / 09 / 2025

आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक—251 / 2025, उज्जैन दिनांक 09 / 04 / 2025 एवं पश्चात् में किये गये संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है :-

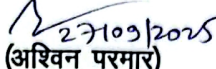
क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्थानीय क्षेत्र	कार्य का विवरण
5.	श्रीमती सोनाक्षी चतुर्वेदी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1— परिवार न्यायालय उज्जैन के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों एवं ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2— परिवार न्यायालय उज्जैन के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों एवं ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 तक/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 से 147 तक के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3— तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रुपये 2,00,001/- से रुपये 3,00,000 /- तक है।
		जिला उज्जैन	4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
19.	श्रीमती शुभांगी जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन		मातृत्व अवकाश

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आज दिनांक-27/09/2025 से प्रभावशील होगा।

अनुमोदित


(पूरनचंद्र गुप्ता)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म0प्र0)


(अश्विन परमार)

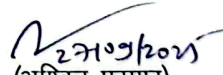
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)

प्रतिलिपि :-

पृष्ठांकन क्रमांक- 719/2025

उज्जैन, दिनांक-27/09/2025

- 1- माननीय उच्च न्यायालय म0 प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी/3175/तीन-10-48/98 जबलपुर दिनांक 09-सितम्बर-2009 के पालन में सादर प्रेषित।
- 2- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- माननीय श्री/श्रीमती अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन/खाचरौद/नागदा/महिदपुर/तराना एवं बड़नगर की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 4- श्री/श्रीमती/कु. ए.सी. जे.एम./जे.एम.एफ.सी.उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5- अध्यक्ष अभिभाषक संघ उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ कि जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
- 7- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन को ई.मेल द्वारा सूचित करने हेतु एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय उज्जैन को प्रेषित।


(अश्विन परमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)